राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अंपील संख्या – 1227/2011/जयपुर
2. अपील संख्या – 1228/2011/जयपुर
3. अपील संख्या – 1229/2011/जयपुर
4. अपील संख्या – 1230/2011/जयपुर
5. अपील संख्या – 1231/2011/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत अ, जयपुर। अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रिलायंस कम्यूनिकेशन लि0,
डी–69, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। ....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 06.09.2017

निर्णय

अपीलार्थी विभाग द्वारा ये पांचों अपीले उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–अ, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 30, 58, 61 एवं 65 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.04.2010 के जरिये आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया गया हैं।

चूँकि पांचों अपीलों में निर्णय हेतु समान बिन्दु निहित होने तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी एक ही होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। इस निर्णय की प्रतियॉ पांचों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रूप से रखी जा रही हैं।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 02.07.2009 को किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म दूरसंचार कनेक्टिविटी की सेवाऐं उपलब्ध कराती

लगातार.....2

है, जो कि एक या एक से अधिक बिन्दुओं में मौजूद है जो कि कॉपर केबल के साथ साथ सीएफसी ओर उपरोक्त सेवाओं को प्रदान करते समय विद्युत उर्जा से ओएफसी नेटवर्क में प्रकाश उर्जा बनाते है। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 18.12.2009 को नोटिस जारी किया गया। जिसमें उनके द्वारा यह माना गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दूरसंचार कनेक्टिविटी की सेवा उपभोक्ताओं को प्रदान करवा रही है, जो कि कॉपर केबल एवं ओएफसी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है जो कि विद्युत एनर्जी को लाईट एनर्जी में परिवर्तित कर डेटा आदान प्रदान करवा रही है। उपरोक्त लेनदेन/आदान प्रदान समान रूप से प्रकाश उर्जा की बिक्री में सम्पत्ति के हस्तान्तरण की परिभाषा के अंतर्गत आते है। उपरोक्तानुसार सभी प्रकार के डेटा का आदान प्रदान मूल रूप से बेचान है इसलिये कुछ विशिष्ट डेटा को हस्तान्तररित करने के लिये आवश्यक उर्जा और डेटा टेली मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपभोक्ता को प्रदान की जा रही सेवाओं को गुडस की श्रेणी में मानते हुए निम्न तालिका अनुसार मांग राशियां कायम की गई है। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह पांचों अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :–

अ. सं.	अ.अ. की अपील सं.	कर	ब्याज	शास्ति
1227/11	26/अपील II/JP-N/10-11	3,28,151	1,80,483	6,56,302
1228/11	27/अपील II/JP-N/10-11	12,18,634	5,24,013	24,37,268
1229/11	29/अपील II/JP-N/10-11	33,93,063	10,51,850	67,86,126
1230/11	28/अपील II/JP-N/10-11	72,85,924	13,84,326	1,45,71,848
1231/11	30/अपील II/JP-N/10-11	20,00;714	2,00,071	40,01,428

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को निरस्त कर विधिक भूल की है, क्योंकि व्यवसायी द्वारा लाईट एनर्जी का विक्रय किया गया है, जो गुड्स की परिभाषा में पूर्ण रूप से आच्छादित होती है। उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....3

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे सेवा माना है क्योंकि "The License issued by the Government of India is important as it is the basis on which the appellant dealer is providing the Broadband service and if the parent body or the Licensing authority States under the provisions of law that it is a service then it can not be deemed to be goods only on the basis of presumptions."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बी एस एन एल का निर्णय, 2006 मोबाईल के सन्दर्भ में था जिसमें मोबाईल से निकलने वाली तरंग खुले आसामान में गति (Movement) करती है जिससे वे गुडस होने के अट्रिब्यूटस पूरे नहीं करती है। जबकि यहां आपटीकल फाइबर केबल के परिपेक्ष्य में तंरगों (ACLE) से सम्बन्धित प्रकरण है। जिसके तहत (ACLE) कृत्रिम रूप से सेवा प्रदाता द्वारा अपने नेटवर्क में इन तरंगों का सृजन डाटा ट्रांसफर हेतु किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इन तरंगों की गुणवत्ता (Properties) का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। जो कि उक्त निर्णय के पैरा 65 "We cannot anticipate what may be achieved by scientific and technological advances in future. No one has argued that at present electromagnetic waves are abstractable or are capable of delivery. It would, therefore, appear that an electromagnetic wave (or radio frequency as contended by one of counsel for the respondents), does not fulfil the parameters applied....." से स्पष्ट उद्धरत है। तंरगों की फ्रिक्वेन्सी एक इलेक्ट्रीकल वायर या रोड की तरह डाटा ट्रांसफर हेतु काम में आने वाली उर्जा (ACLE) को चेनेलाइजेशन का कार्य करती है। अपने तर्को के समर्थन में **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय BSNL vs UOI व Tata Consultancy Service vs State of Andhra {radesh (2005 SC 371) एवं माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय [2011] 044 VST 0486 भारती एयरटेल लि. बनाम कर्नाटक राज्य निर्णय दिनांक 25.02.2011** उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म दूरसंचार कनेक्टिविटी की सेवाऐं उपलब्ध कराती है, जो कि एक या एक से अधिक बिन्दुओं में मौजूद है जो कि कॉपर केबल के साथ साथ सीएफसी ओर उपरोक्त सेवाओं को प्रदान करते समय विद्युत उर्जा से ओएफसी नेटवर्क में प्रकाश उर्जा बनाते है। यहॉ यह भी स्पष्ट है कि सेवाओं पर कर योग्यता वैट के दायरे के भीतर नहीं है। अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कर केवल गुड्स पर लगाया जा सकता है, न कि सेवाओं पर। आगे कृत्रिम रूप से निर्मित प्रकाश उर्जा (एसीएलई) को इस कारण

लगातार.....4

भी गुड्स के रूप में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रॉड–बैण्ड सेवाएं दूरसंचार सेवा की श्रेणी के अन्तर्गत आती है। अपीलकर्ता/डीलर ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत् लाईसेंस प्राप्त कर रखा है, एवं सेवा प्रदान कर रहा है। भारत सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आधार है जिस पर अपीलकर्ता ब्रॉड–बैण्ड सेवा प्रदान करता है और यदि लाईसेंसधारी प्राधिकरण कानून के प्रावधानों के तहत् बताता है कि यह एक सेवा है तो इसे केवल अनुमानों के आधार पर माल (गुड्स) नहीं माना जा सकता है। प्रत्यर्थी द्वारा अपने तर्को के संदर्भ में दिये गये न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय BSNL vs UOI में लिखा गया है कि "The following conditions laid down by the Apex Court in the BSNL's case are therefore not satisfied in the present case;

(a) delivery is an essential feature of a contract of sale;

(b) there must be goods for delivery;

(c) there must be a consensus ad idem as to the identity of goods;

(d) the transferee should have a legal right to use the goods and consequently all the legal consequences of such use including any permissions or licenses required therefore should be available to the transferee.

माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णय Tata Consultancy Service vs State of Andhra Pradesh (2005 SC 371) एवं माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय [2011] 044 VST 0486 भारती एयरटेल लि. बनाम कर्नाटक राज्य निर्णय दिनांक 25.02.2011 के अध्ययन से स्पष्ट है कि दूरसंचार कनेक्टिविटी गुड्स की परिभाषा में न आकर सेवाओं की परिधी में आती है, तथा प्रकाश उर्जा चूंकि गुड्स नहीं है, अतः इस पर करारोपण नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन एवं मांननीय न्यायालयों के उद्धरित निर्णयों में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है। लिहाजा अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत ये अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष